न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 13/2019

उनवान

1. श्री मावा पिता वीरजी डांगी निवासी सेमाल तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कालू पिता भेरा डांगी निवासी सेमाल तहसील सराडा जिला उदयपुर।
2. श्री शंकर पिता कालू निवासी सेमाल तहसील सराडा जिला उदयपुर।
3. श्री लिम्बा पिता कालू निवासी सेमाल तहसील सराडा जिला उदयपुर।
4. श्री मावा पिता कालू निवासी सेमाल तहसील सराडा जिला उदयपुर।
5. श्री रूपा पिता कालू निवासी सेमाल तहसील सराडा जिला उदयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 16.01.2020

उपस्थितिः–

1. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा सेमाल पटवार हल्का सेमाल तहसील सराडा हाल जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता सं. आराजी 817 रकबा 0.10 हेक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.10 हेक्टेयर लगानी रूपये के एक मात्र खातेदार, काश्तकार व स्वामी प्रार्थी होकर काबिज है व खेती का कार्य कर अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है । प्रार्थी असहाय वृद्ध है व प्रार्थी के कोई लडका नहीं है। इसलिए विपक्षीगण नाजायज रूप से प्रार्थी की जमीन को हडपना चाहते है व प्रार्थी को जबरन कब्जा करने

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

व हाथ पैर तोडने की धमकी देते है। दिनांक 22.03.2019 को विपक्षीगण कब्जा करने हेतु अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थी की भूमि में हकाई करने का प्रयास करने लगे व प्रार्थी ने मना किया तो प्रार्थी के साथ मारपीट की। विपक्षीगण खूंखार प्रवृति के होकर संख्याबल व राजनेतिक पहुंच वाले होने से जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसलिए प्रार्थी को मजबूर होकर विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना की कि प्रार्थी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर विपक्षीगण किसी प्रकार से कब्जा नहीं करे एवं न उक्त कृषि भूमि बर्बाद करे व किसी से करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.12.2019 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 16.01.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अतः प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि मौजा सेमाल पटवार हल्का सेमाल तहसील सराडा खाता सं. नया 164 संवत् 2071–74 खसरा नं. 817 रकबा 0.10 हे. कुल किता 1 कुल रकबा 0.10 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी पर मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें तथा प्रार्थी के आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द्र धाकड़)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

16/1/20 पत्रा. पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। विपक्षीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस अंतिम सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० पत्रावली किया गया। पक्ष. फैसला अनुसार डिक्री नकल से कक्ष की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)